

वायु प्रदूषण (Air-Pollution)

Chapter -2

वायु प्रदूषण (Air-Pollution) Syllabus

2. Air Pollution

(05 Periods)

✓ Source of air pollution. ✓ Effect of air pollution on human ✓ health, ✓ economy, ✓ plant, ✓ animals. ✓ Air ✓
✓ Pollution Control Methods. Introduction to Air Pollution and its Prevention and Control Act
✓ 1981 & Environmental Protection Act 1986 and Function of State pollution control board and
National Green Tribunal (NGT).

- वायु प्रदूषण को नियन्त्रित करने के उपाय (Remedial Control of Air Pollution)

(1) कल-कारखानों की चिमनियों की ऊँचाई अधिक होनी चाहिए।

The height of the chimneys of factories should be high.

(2) रेल यातायात में कोयले एवं डीजल के इंजनों के स्थान पर बिजली के इंजनों का प्रयोग किया जाए।

Electric engines should be used instead of coal and diesel engines in rail transport.

(3) मोटर वाहनों का रख-रखाव ठीक रखा जाय। कार्बोरिटर की सफाई कर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है तथा लेड रहित पेट्रोल का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाय।

Motor vehicles should be maintained properly. Carbon monoxide emission can be reduced by cleaning the carburetor and lead-free petrol should be used as fuel.

- (4) पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबन्ध लगाया जाय क्योंकि उनसे वायु प्रदूषण ज्यादा होता है।
Restrictions should be imposed on the operation of old vehicles as they cause more air pollution.
- (5) घरों में सौर ऊर्जा चालक कुकरों का प्रयोग किया जाय।
Solar powered cookers should be used in homes.

- वायु प्रदूषण अधिनियम (Air Pollution Act) 1981 :-
- 'वायु प्रदूषण' से तात्पर्य किसी ठोस, द्रव या गैसीय वस्तु से है जो वायुमण्डल में इतनी सान्द्रता से एकत्रित हो कि व्यक्तियों अथवा अन्य जीवित वस्तुओं के लिये हानिकारक या वनस्पति या सम्पदा या पर्यावरण के लिये हानिकारक हो।

'Air pollution' means any solid, liquid or gaseous matter present in the atmosphere in such a concentration that is harmful to persons or other living things or detrimental to vegetation or property or the environment.

(1) केन्द्रीय बोर्ड वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये जल प्रदूषण बोर्ड की रोकथाम के अनुसार ही कार्य करेगा।

The Central Board shall work for the prevention of air pollution in the same manner as the Water Pollution Board.

(2) प्रान्तीय बोर्ड, केन्द्रीय बोर्ड के सहयोग से, औद्योगिक इकाइयाँ, मोटर गाड़ियों के लिये वांछित वायु गुणवत्ता का निर्धारण करेंगे, जो क्षेत्र आधारित होगी।

The Provincial Boards, in collaboration with the Central Board, shall determine the desired air quality for industrial units, motor vehicles, which shall be area based.

(3) प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय बोर्ड की सलाह पर मोटर गाड़ियों के धुँए के मानक निर्धारित कर सकती है।

The Provincial Government may, on the advice of the Provincial Board, determine standards for smoke for motor vehicles.

(4) इस अधिनियम में वायु प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से बाहर बनाने के लिए min दूरी का निर्धारण, चिमनी की ऊँचाई का निर्धारण करना, क्षेत्रीयकरण करना, वायु प्रदूषण पैदा करने वाली औद्योगिक इकाइयों की मॉनिटरिंग करना, प्रदूषण नियन्त्रण की कारगर इकाइयों का Implementation किये जाने हेतु डिजाइन करना, पब्लिक को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु टी० वी०, अखबार, आदि के माध्यम से चेतना जागृत करना है। इसके अतिरिक्त नियमों का उल्लंघन करने पर 6 वर्ष तक कैद तथा जुर्माने का प्रावधान है और कम्पनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान है।

This Act determines the minimum distance for setting up air polluting industries outside residential areas, determines the height of chimneys, zoning, monitors air polluting industrial units, designs effective pollution control measures for implementation, creates awareness among the public for prevention of air pollution through TV, newspapers, etc. Apart from this, there is a provision of imprisonment up to 6 years and fine for violating the rules and there is a provision of punishment for companies and government organizations for violating the rules.

(5) जल प्रदूषण नियन्त्रण के केन्द्रीय तथा प्रान्तीय बोर्ड वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्य भी करेंगे।

The Central and Provincial Boards for water pollution control will also perform air pollution control functions.

(6) केन्द्रीय बोर्ड का कार्य देश में वायु की गुणवत्ता अच्छी करना तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम व नियन्त्रण करना है।

The function of the Central Board is to improve the air quality in the country and to prevent and control air pollution.

(7) प्रान्तीय बोर्ड भी तदनुसार कार्य करेंगे।

The Provincial Boards shall also function accordingly.

(8) प्रान्तीय सरकार किसी क्षेत्र को वायु नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है व प्रान्तीय बोर्ड की सलाह से इन क्षेत्रों में परिवर्तन भी कर सकती है।

The provincial government can declare any area as an air control area and can also make changes in these areas with the advice of the provincial board.

(9) प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय बोर्ड की सलाह पर किसी पदार्थ विशेष के किसी वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र में ज्वलन पर रोक लगा सकती है।

The Provincial Government may, on the advice of the Provincial Board, prohibit the burning of any particular substance within any air pollution control area.

(10) प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय बोर्ड की सलाह पर किसी वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र में किसी उपकरण विशेष के प्रयोग पर रोक लगा सकती है।

The Provincial Government may, on the advice of the Provincial Board, prohibit the use of any particular equipment within any air pollution control area.

(11) प्रान्तीय बोर्ड निर्देश निर्गत कर सकते हैं।

Provincial Boards may issue directions.

(12) प्रान्तीय बोर्ड किसी वायु प्रदूषणकारी क्रिया-कलाप रोकने के लिए उचित न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।

The Provincial Board may make an application to the appropriate court for injunction to stop any air polluting activity.

(13) प्रान्तीय बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी स्थान विशेष का निरीक्षण कर सकते हैं। उपकरण विशेष की जाँच कर सकते हैं तथा सूचना प्राप्त कर सकते हैं और नमूने एकत्र कर सकते हैं।

Members of the Provincial Board, officers or authorised persons may inspect any place, test any equipment, obtain information and collect samples.

(14) कम्पनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान है।

There are provisions for penalties for violation of the rules by companies and government organisations.

(15) नियमों का उल्लंघन करने पर 6 वर्ष तक की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है।

Violation of the rules is punishable with imprisonment up to six years and fine.

- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (Environment Protection Act 1986):-**

- इस अधिनियम को 23 मई, 1986 में राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर द्वारा सहमति व स्वीकृति प्रदान की गई तथा 26 मई, 1986 के राजपत्र में यह प्रकाशित किया गया। धारा 1 (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना के पश्चात् 19 नवम्बर, 1986 को यह प्रवृत्त हुआ और तभी से यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है।

The Act was assented to and approved by the President by his signature on 23 May 1986 and was published in the Gazette of India on 26 May 1986.

After notification as required under Section 1(3), it came into force on 19 November 1986 and has been in force throughout India ever since.

इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

The main objectives of this Act are as follows-

(1) 'पर्यावरण प्रदूषक' से तात्पर्य किसी ठोस द्रव अथवा गैसीय पदार्थ से है जो इतनी सान्द्रता में हो कि पर्यावरण के लिये हानिकारक सिद्ध हो।

'Environmental pollutant' means any solid, liquid or gaseous substance present in such a concentration as to be harmful to the environment.

(2) पर्यावरण का संरक्षण करना तथा उसमें आवश्यक सुधार करना।

To protect and improve the environment.

(3) मानव प्राणियों, जीवों, पादपों एवं सम्पत्तियों को वायु प्रदूषण के परिसंकट से बचाना।

To protect human beings, animals, plants and property from the hazards of air pollution.

(4) मानवीय पर्यावरण सुरक्षा व स्वास्थ्य को खतरा पैदा करने वालों के लिए निरोधात्मक दण्ड की व्यवस्था करना।

To provide deterrent punishment for those who endanger human, environmental, safety and health.

इस अधिनियम में वर्णित मुख्य प्रावधान निम्नांकित हैं-

The main provisions mentioned in this Act are as follows-

(1) पर्यावरण संरक्षण कार्य में प्रान्तीय सरकारों के कार्यों को नियमित करना।

To regulate the activities of provincial governments in environmental protection work.

(2) पर्यावरण गुणता के मानकों को निर्धारित करना।

To lay down standards for environmental quality.

(3) उन क्षेत्रों का निर्धारण करना जिनमें सुरक्षा उपायों के साथ विभिन्न औद्योगिक संस्थान स्थापित किये जा सकते हैं।

To determine areas in which various industrial establishments may be set up with safeguards.

(4) पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिये शीघ्र कार्य।

Immediate action to prevent environmental pollution.

(5) पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी सूचना एकत्र करना एवं प्रकाशित करना।

To collect and publish information related to environmental pollution.

इस अधिनियम में केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित के मानक स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया है-

The Act empowers the Central Government to establish standards for-

(i) वायु, जल एवं मृदा के मानक।

Air, water and soil standards.

(ii) घातक पदार्थों को उठाने, रखने के नियम।

Rules for lifting and storing hazardous substances.

(iii) विभिन्न स्थानों पर उद्योग-धन्धे लगाने पर रोक।

Prohibition on setting up industries at different places.

(iv) दुर्घटना की रोकथाम की कार्य-प्रणाली के मानक।

Standards of accident prevention procedures.

- अधिनियम में सरकार को संस्थानों का निरीक्षण करने, नमूने लेने तथा उद्योग कार्य रोकने का अधिकार दिया गया है।
The Act empowers the Government to inspect establishments, take samples and stop industrial work.
- इस अधिनियम में नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख तक जुर्माना व 5 वर्ष की कैद का प्रावधान है
The violation of the rules under this Act carries a penalty of up to Rs 1 lakh and imprisonment of up to five years.